उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

U.P.Power Corporation Limited

(Govt. of Uttar Pradesh Undretaking)

शक्ति भवन, विस्तार, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ

CIN: U32201UP1999SGC024928

संख्या–798–औ0सं0 / 2018–64 / ए0एस0 / 2002 दिनांक 04 अप्रैल, 2018

ई–मेल

सर्वोच्च प्राथमिकता

प्रबन्ध निदेशक,
मध्यांचल / पूर्वान्चल / दक्षिणांचल / पश्चिमांचल,
विद्युत वितरण निगम लि0 / केस्को,
लखनऊ / वाराणसी / आगरा / मेरठ / कानपुर।

मुख्य अभियन्ता (जल–विद्युत),
समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण) / पारेषण,
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,

विषय :– विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उ0प्र0 एवं अन्य संगठनो द्वारा 05 शहरो में विद्युत आपूर्ति फेन्चाइज़ी को देने एवं 07 शहरों मे विद्युत व्यवस्था एकीकृत सेवा प्रदाता को दिये जाने के विरोध में दिनांक 09.04.2018 से 72 घण्टे का कार्य बहिष्कार की नोटिस के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि 05 शहरों में विद्युत आपूर्ति फेन्चाइज़ी को देने तथा 07 शहरो की विद्युत आपूर्ति एकीकृत सेवा प्रदाता के माध्यम से कराये जाने के विरोध में विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उ0प्र0, राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन उ0प्र0, विद्युत मजदूर संगठन उ0प्र0, विद्युत संविदा मजदूर संगठन उ0प्र0 द्वारा दिनांक 09.04.2018 से 72 घण्टे का कार्य–बहिष्कार किये जाने की नोटिस दी है**(प्रतिलिपि संलग्न)**। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उ0प्र0 एवं अन्य संगठनों द्वारा दिनांक 09.04.2018 से 72 घण्टे का कार्य–बहिष्कार किये जाने का नोटिस अनुचित व अवैधानिक है।

आप विदित है कि उ0प्र0 सरकार ऊर्जा अनुभाग–02 ने अधिसूचना सं0–1 / 2018 / 2267 / 24–पी–2–17–1(121) / 04 दिनांक 04.01.2018 द्वारा उ0प्र0 आवश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 (उ0प्र0 अधिनियम सं0–30 सन् 1966) की धारा 03 की उपधारा 01 के अधीन ऊर्जा क्षेत्र में समस्त सेवाओ पर हड़ताल निषिद्ध के आदेश निर्गत किये है। अधिसूचना को कारपोरेशन के पृष्ठांकन सं0–33 / औ0सं0 / 2018–159ए / 67 दिनांक 06.01.2018 द्वारा प्रेषित किया गया है। उल्लेखनीय है कि उ0प्र0 आवश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 (उ0प्र0 अधिनियम सं0–30 सन् 1966) की धारा 04, 05, 06 एवं 07 में अवैध हड़ताल की स्थिति में शास्ति (Penalty) दिये जाने का प्राविधान हैं।

यह भी उल्लेखनीय है कि कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–929–औ0सं0 / 17 / पाकालि / 2001–3–ए0 / 79 दिनाँक 31.03.2001 में निहित प्राविधानों के अनुपालन में **"काम नहीं तो वेतन नहीं"** के सिद्धान्त का कड़ाई से पालन किये जाने के आदेश भी विद्यमान है।

अतः आपसे अनुरोध है कि विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उ0प्र0 एवं अन्य संगठनों द्वारा दिनांक 09.04.2018 से 72 घण्टे का कार्य–बहिष्कार किये जाने के नोटिस को दृष्टिगत रखते हुये विद्युत आपूर्ति की स्थिति सामान्य बनाये रखना सुनिश्चित किया जाये तथा कारपोरेशन की सम्पत्तियों, विद्युत केन्द्रों व सयन्त्रों तथा निष्ठावान कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाये तथा आवश्यकतानुसार जिला–प्रशासन / पुलिस प्रशासन से सम्पर्क कर सहयोग प्राप्त किया जाये।

यह भी अनुरोध है कि दिनांक 09.04.2018 से 72 घण्टे के कार्य–बहिष्कार के दृष्टिगत अधिकारियों / कर्मचारियों को (विशेष परिस्थितियों को छोड़कर) अवकाश स्वीकृत न किया जाये तथा अनुपस्थित होने वाले कर्मियों के सम्बन्ध में कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–929–औ0सं0 / 17 / पाकालि / 2001–3 ए0 / 79 दिनांक 31.03.2001 में निहित प्राविधानों के अनुपालन में **"काम नही तो वेतन नही"** के सिद्धान्त का कड़ाई से पालन किया जाये तथा कार्य–बहिष्कार में शामिल कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही भी की जाये।

कृपया इस सम्बन्ध में कृत कार्यवाही से कारपोरेशन को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक :– यथोपरि।

भवदीय

(सत्य प्रकाश पाण्डेय)
निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0)

संख्या–798–(1)–औ0सं0 / 2018 तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ के निजी सचिव।
5. प्रबन्ध निदेशक, ट्रांस्को, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
6. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0), पूर्वान्चल–वाराणसी, पश्चिमांचल–मेरठ, मध्यांचल–लखनऊ, दक्षिणांचल–आगरा विद्युत वितरण निगम लि0 एवं केस्को कानपुर
7. अपर सचिव–प्रथम / द्वितीय / तृतीय, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
8. संयुक्त सचिव (कार्य), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ को दिनांक 09.04.2018 से 72 घण्टे का कार्य–बहिष्कार की नोटिस की प्रति सहित कान्टीजेन्ट प्लान एवं समस्त आवश्यक व्यवस्थाये पूर्ण कराने के सम्बन्ध में।
9. समस्त मुख्य महाप्रबन्धक (लेखा) / महाप्रबन्धक (लेखा) / उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन) उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
10. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष संख्या–407, शक्ति भवन, लखनऊ को कारपोरेशन की वेब साइट पर लोड करने हेतु।
11. कट फाइल।

(सत्य प्रकाश पाण्डेय)
निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0)